जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स अलका डागा, एम.एल. नम्बर 33/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018673, क्षेत्रफल 3.9788 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,32,724 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 90, निकट ग्राम गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 23.8952 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–23,75,944 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है** में बजरी, कंकर, बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल एवं मुर्रम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **11.02.2025** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर/ रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स अलका डागा,	एम.एल. नम्बर 33/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018673	3.9788 हैक्टेयर	4,32,724 टी.पी.ए. (रोम)
2	मैसर्स श्री रमेश भाई नाराभाई	एम.एल. नम्बर 31/2020	3.9807 हैक्टेयर	3,74,400 टी.पी.ए (रोम)
3	मैसर्स श्री धर्मेन्द्र कुमार	एम.एल. नम्बर 17/2020	3.9798 हैक्टेयर	4,45,620 टी.पी.ए. (रोम)
4	मैसर्स श्रीमति कान्ता देवी	एम.एल. नम्बर 23/2020	3.9785 हैक्टेयर	3,74,400 टी.पी.ए. (रोम)
5	मैसर्स श्री हेतराम जाट	एम.एल. नम्बर 77/2019	3.9889 हैक्टेयर	3,74,400 टी.पी.ए. (रोम)
6	मैसर्स बजरंग लाल सहारण	एम.एल. नम्बर 80/2019	3.9885 हैक्टेयर	3,74,400 टी.पी.ए. (रोम)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 03.01.2025 को समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स अलका डागा** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स मंत्राज़ इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड"** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स मंत्राज़ इनोवेशन एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना खसरा नम्बर 90, निकट ग्राम–गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में खनिज–बजरी, कंकर, बॉल क्ले, सिलिका सेंड, ग्रेवल एवं मुर्ररम के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका **एम.एल. नम्बर 33/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018673,** कुल खनन क्षेत्रफल **3.9788** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **4,32,724 टी.पी.ए. (रोम) {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 23.8952 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–23,75,944 टी.पी.ए.(रोम)}** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री रेवन्तराम, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत गंगापुरा द्वारा खनन पट्टा धारक से निवेदन किया गया कि खनन कार्य में रोजगार हेतु ग्राम पंचायत गंगापुरा के स्थानीय निवासीयों को एवं खनन इकाई में स्थानीय संसाधनों को प्राथमिकता दी जाये। साथ ही श्री रेवन्तराम द्वारा खनन पट्टा धारक से यह भी निवेदन किया गया कि गाँव के विद्यालयों में सुविधाओं का विकास करने हेतु, गाँव में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं पंचायत भवन क्षेत्र के आस पास वृक्षारोपण विकसित करने में यथा सम्भव सहयोग प्रदान किया जाये। जिसके प्रत्युत्तर में खनन पट्टा धारक श्रीमति अलका डागा द्वारा आश्वासन दिया गया कि रोजगार में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी, गाँव के विद्यालयों में सुविधाएं प्रदान की जायेगी, गाँव के विकास हेतु आवश्यक सहयोग किया जायेगा एवं गाँव को हरा–भरा बनाने हेतु सघन पौधारोपण करवाया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा आमजन को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व पर्यावरण प्रभाव आंकलन हेतु बनने वाली रिपोर्ट पर आपका पक्ष जानने, आपके विचार, सुझाव एवं आपत्तियों को जानने, ग्रामवासियों के हितो की रक्षा करने, उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिये जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। जनसुनवाई आयोजित करने से पूर्व इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाता है। खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य करने के दौरान जिन मापदण्डों का ध्यान रखा जायेगा उसकी विस्तृत जानकारी जनसुनवाई के दौरान रखी जाती है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन प्रदान किया गया कि उक्त खनन इकाई के सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेप/शिकायतों का खनन विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के माध्यम से सत्यापन करवाया जायेगा एवं आवश्यक कार्यवाही कर आक्षेप/शिकायतों के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा खनन पट्टा धारक को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही खनन कार्य करने हेतु निर्देशित किया।

श्री जयपाल जांगु, निवासी गंगापुरा द्वारा आक्षेप किया गया कि ग्राम पंचायत में पूर्व में संचालित खनन इकाईयों द्वारा नियमों की पालना नहीं की जाती है। खनन इकाईयों द्वारा ऑवर बर्डन सरकारी जमीन पर डाल दिया जाता है। जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन परियोजना के अनुसार ही ऑवर बर्डन का निस्तारण किया जायेगा। श्री जयपाल जांगु, निवासी गंगापुरा द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि खनन कार्य शुरू होने के उपरान्त खनन इकाईयों द्वारा जन–सुनवाई में बताये अनुसार कार्य नहीं किया जाता है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा इस विषय में प्राप्त होने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में जाँच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

अधिकारी
...बीकानेर

श्री रूपाराम कुमावत, निवारी गंगापुरा द्वारा आक्षेप किया गया कि पूर्व में संचालित खनन इकाईयों द्वारा सड़क बनाने में मुड़ की जगह चिकनी मिट्टी का उपयोग किया गया जिससे वर्षाकाल में खेत जाने वाले किसानों के साधन फिसल जाते है और चोटिल हो जाते है अतः सड़क के निर्माण में मुड़ का प्रयोग करने हेतु निवेदन किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी में बताये अनुसार ही सड़क निर्माण किया जायेगा। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा सड़क निर्माण के दौरान सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने का आश्वासन दिया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा आमजन को अवगत करवाया गया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायते दर्ज कर ली गई है एवं इन पर शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जन समुह से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु भी निवेदन किया गया।

श्री जयपाल जांगु, निवासी गंगापुरा द्वारा पुनः आक्षेप लगाया गया कि पूर्व में संचालित कुछ खनन इकाईयों द्वारा गंगसरोवर बांध के पास से सड़क निकाली जा रही है जिससे बांध क्षतिग्रस्त हो रहा है। जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त सड़क प्रस्तावित खनन इकाई से सम्बन्धित नहीं है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि शिकायत प्रस्तावित खनन इकाई से सम्बन्धित नहीं है तथापि शिकायत पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.मं., बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स अलका डागा, एम.एल. नम्बर 33/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018673, क्षेत्रफल 3.9788 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,32,724 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 90, निकट ग्राम गंगापुरा, तहसील कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {मैसर्स अलका डागा, एम.एल. नम्बर 33/2020, रेफरेन्स नम्बर 20201000018673, क्षेत्रफल 3.9788 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,32,724 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री रमेश भाई नाराभाई, एम.एल. नम्बर 31/2020, क्षेत्रफल 3.9807 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,74,400 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स श्री धर्मेन्द्र कुमार, एम.एल. नम्बर 17/2020, क्षेत्रफल 3.9798 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,45,620 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्रीमति कान्ता देवी, एम.एल. नम्बर 23/2020, क्षेत्रफल 3.9785 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,74,400 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री हेतराम जाट, एम.एल. नम्बर 77/2019, क्षेत्रफल 3.9889 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,74,400 टी.पी.ए. (रोम), मैसर्स बजरंग लाल सहारण, एम.एल. नम्बर 80/2019, क्षेत्रफल 3.9885 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,74,400 टी.पी.ए. (रोम);} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 23.8952 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–23,75,944 टी.पी.ए.(रोम) में प्रस्तावित है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 11.02.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन गंगापुरा, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–11.02.2025 .समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	Rajesh Kr. Nayak	SDO, Kolayat	[signature]
2.	Rajkumar Meena	Regional officer, RSPCB, Bikaner	[signature]
3.	Rewant Ram	Ex Pardhan Kolayat	रेवन्तराम
4.	मगफिरलाल	Bikaner	[signature]
5.	राजूराम	कोटडी	राजूराम
6.	स्वरूप	कोटडी	स्वरूप
7.	Ghanshyam Suthar	motawata	[signature]
8.	अर्जुन	गंगापुरा	अर्जुनराम
9.	[illegible]	गंगापुरा	[signature]
10.	पिन्टू	नागौर	pintu
11.	संतोष मेहता	मदनपुर	संतोष मेहता

12.	संजय मेहरा	होरीकापुर डोलीसफरा	संजय मेहरा
13.	नन्दकिशोर शर्मा	गजनेर	नन्दकिशोर शर्मा
14.	मेघाराम	मोटावता	मेघाराम
15.	रविरंगा	बीकानेर	[signature]
16.	श्री नाथ	बीकानेर	श्रीनाथ
17.	रुगाराम	मोटावतां	रुगाराम
18.	रविन्द्र	कोलायत	[signature]
19.	लक्ष्मी नारायण	कोलायत	[signature]
20.	रामनाथ	गंगापुरा	रामनाथ
21.	Rahat	Bikaner	[signature]
22.	Ikka Raja	Mines Owner	[signature]
23.	भैरवसिंह	गंगापुरा	भैरवसिंह
24.	तारा चन्द	पर्यावरणीय सलाहकार	Tara Chand
25.	Surendra Verma	" — "	[signature]
26.	हितेन्द्र शर्मा	बीकानेर	हितेन्द्र शर्मा
27.	शंकर लाल	गंगापुरा	[signature]
28.	रूपाराम	गंगापुरा	[signature]
29.	[illegible]	Bikaner	[signature]
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			